

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(14)एमई/गुप-1/2016

जयपुर, दिनांक 10/5/17

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(1)एमई/गुप-1/1996/5718 दिनांक 17.08.2016 के द्वारा डॉ. मीनाक्षी राव को सहायक आचार्य, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में किया गया था। डॉ. मीनाक्षी राव को आदेश जारी होने की दिनांक से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी।


डॉ. राव ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभिवृद्धि चाही। इस सम्बन्ध में विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(1)एमई/गुप-1/1996/6895 दिनांक 05.10.2016 के द्वारा डॉ. राव के कार्यग्रहण काल में छः माह तक के लिए समयावधि में अभिवृद्धि प्रदान कर सूचित किया गया।

डॉ. राव के स्वयं के निवेदन पर कार्यग्रहण हेतु समयावधि में वृद्धि करने के पश्चात भी डॉ. राव के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त वस्तुस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. राव नियुक्ति पर कार्यग्रहण कर नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है।

डॉ. राव के द्वारा निर्धारित समय में पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने के कारण इनका नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

अतः डॉ. मीनाक्षी राव के पक्ष में जारी उपरोक्त वर्णित नियुक्ति आदेश दिनांक 17.08.2016 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,


10/5/17
(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(1)एमई/गुप-1/1996/5718 दिनांक 17.08.2016 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
4. डा. मीनाक्षी राव पुत्री श्री पंकज राव क्वार्टर नं. 3/4, डॉक्टर्स क्वार्टर्स मेडिकल कॉलेज कैम्पस, शास्त्री नगर, जोधपुर-342003(राज.)।(रजिस्टर्ड डाक से)।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव